रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 30—जुलाई 6, 2012 (आषाढ़ 9, 1934)

No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 30—JULY 6, 2012 (ASADHA 9, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

(गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग)

मुंबई-400005, दिनांक 30 मई 2012

सं. : गैबैंपवि(नीप्र) 246/मुमप्र(यूएस)-2012--भारतीय रिजर्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए, बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से 22 फरवरी 2007 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस/193.डीजी(वीएल)-2007 में अंतविष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियां नहीं स्वीकारने या नहीं धारण करने वाली) कंपनियां विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिजर्व बैंक) निदेश 2007 (इसके बाद इसे निदेश कहा जाएगा) को संशोधित करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 ञक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निदेश को तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित करने का निदेश देता है यथा--

पैरा 20 में, उप पैरा 13 के बाद निम्नलिखित सब पैरा जोड़ा जाए, यथा :--

"(14) पीपीपी और पोस्ट वाणिज्यिक परिचालन तारीख (सीओडी) परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली परिसंपत्तियां के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियों का जोखिम भार 50 प्रतिशत होगा, जिन्होंने न्यूनतम एक वर्ष का संतोषजनक वाणिज्यिक परिचालन पूरा कर लिया हो।"

उमा सुब्रमणियम

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

RESERVE BANK OF INDIA

(DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION)

Mumbai-400005, the 30th May 2012

No. DNBS(PD). 246/CGM(US)-2012—The Reserve Bank of India, having considered it necessary in public interest and being satisfied that, for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Non-Banking Financial (Non-Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2007 (hereinafter referred to as the said Directions), contained in Notification No. DNBS.193/DG(VL)-2007 dated February 22, 2007, in exercise of the powers conferred by Section 45JA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, hereby directs that the said Directions shall be amended with immediate effect as follows, namely—

1. In para 20, a new sub-para shall be inserted after sub-para 13, as follows :—

"(14) For Infrastructure Finance Companies, the risk weight for assets covering PPP and post Commercial Operations Date (COD) projects which have completed at least one year of satisfactory commercial operations shall be at 50 percent".

UMA SUBRAMANIAM
Chief General Manager-in-Charge

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012

MGIPF—[PART III—SEC. 4]—145 Copies.